न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

अनवान .....नन्दकिशोर.....बनाम.....गोरे-लाल.....

किस्म मुकदमा.....ऐ.ऐ.....मु0नं0.....345.....सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तामील में जारी
24.07..2024	वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोडते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना सम्मन जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.08.2024को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम 05/8/24 वादी के वकील उपस्थित है0 की रजिस्टर्ड RAD नहीं मौजूद है। अतः पेश करें। 16/8/24 को पेश हो। 16/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दीगर राजकीय कार्य में व्यस्थ है/दौरे पर है/मीटिंग में है। मतानुसार कार्यवाही हेतु पत्रवली दिनांक 22/8/24 को पेश हो। 22/8/24 वादीगण एवं उनके अधिवक्ता गण एक-2 कर आवाजें दिलाई गई, उपस्थित नहीं है। अतः उपस्थित नहीं होने से कोई भी वादीगण की उपस्थिति दर्ज नहीं है। वाद पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस पर है। वाद पत्र खारिज किया जाता है। पक्षों वादखर्च	उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Yadav
Date: 2024.09.11 11:44:17 IST
Reason: SelfAttested